

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्रमांक जी-30/1/95/सी/चार,

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश .

विषय :--वेतनमान में समय से पहले वेतन वृद्धि.

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 27 में निम्नानुसार प्रावधान था :--

F. R. 27. An authority may grant a premature increment to a Government servant on time scale of pay if it has power to create a post in the same cadre on the same scale of pay.

2. वर्तमान में पद निर्माण करने के अधिकार किसी भी प्राधिकारी को नहीं है.

3. अतः राज्य शासन द्वारा विचारों उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि अब सामान्य अथवा विशेष आदेशों के तहत समय वेतनमान में समय से पहले वेतन वृद्धि स्वीकृत करने संबंधित अधिकार उनके नियुक्ति कर्ता प्राधिकारी को दिये जायें. मूल नियम-27 और नियमों की परिशिष्ट संशोधन की अधिसूचना की प्रतिलिपि संलग्न है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.

हस्ता./-

(ए. एन. अस्थाना)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग.

पृ. क्र. जी-30/1/95/सी/चार

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 1995

प्रतिलिपि :--

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर.
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
6. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) / (ऑडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
7. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल को अधिसूचना राजपत्र भाग-4 (ग) में प्रकाशित करने के लिये.
8. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल.
9. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल.
10. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.

11. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल.
 12. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट, टी. टी. नगर, भोपाल.
 13. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शा. कर्मचारी संघ, 85/61, तुलसी नगर, भोपाल.
 14. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, 12/5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल.
 15. प्रमुख महामंत्री, म. प्र. शिक्षक कांग्रेस, 6/45 बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल.
 16. महामंत्री, म. प्र. राज्य कर्मचारी संघ, 48/26, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल
 17. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. कर्मचारी कांग्रेस, 98/48, तुलसी नगर, भोपाल.
 18. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, 83/85, तुलसी नगर, भोपाल.
 19. अध्यक्ष, म. प्र. सचिवालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल.
 20. पेंशनर कल्याण मंडल के सभी सदस्य.
-
21. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश.
 22. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
 23. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-

(मिलिन्द वाईकर)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal, dated the 30th of December, 1995

No. G-30/1/95/C/IV. In exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Fundamental Rules, namely :--

AMENDMENT

In the said rules--

- (1) for rule 27, the following rule shall be substituted namely :--
“ 27 An appointing authority may grant a premature increment to a Government servant on time-scale of pay subject to general or special orders issued by the Government .”
- (2) in Appendix II, part II Under delegation orders, serial numbers 11 and 12 and the entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

Sd./-

(A. N. ASTHANA)
Secretary Finance.